प्रेस नोट 03/11/2022

06 शातिर अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही, 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 02.11.2022 को, 06 शातिर अपराधियों मो0 रजा पुत्र मंजूर अहमद, आरिस पुत्र गुलजार अहमद निवासीगण महरूपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ, प्रिंस सिंह पुत्र रामाश्रय सिंह निवासी पड़हा पट्टी थाना मुहम्मदाबाद मऊ, हंसराज सिंह पुत्र विजयमल सिंह निवासी बरहदपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ, विशाल राजभर पुत्र सगदीन निवासी सालेहपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ व आकाश चौहान पुत्र वीरेन्द्र निवासीगण अलियाबाद कटाई थाना जीयनपुर आजमगढ़ का मोटरसाईकिल चोरी करने का एक सक्रिय गिरोह है, इस गिरोह का गैंग लीडर उक्त मो0 रजा है जो उपरोक्त अपने सदस्यों के साथ मिलकर अपने व अपने गिरोह के आर्थिक भौतिक व बुनियादी लाभ के लिये मोटरसाईकिल चोरी व अन्य अपराध कारित करते हैं। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 582/22 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ आज दिनांक 03.11.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भोतकोल मोड़ के पास से उपरोट मो0 रजा व आकाश चौहान को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गोवध निवारण के क्रम में एक व्यक्ति गिरफ्तार, कब्जे से मैजिक वाहन में क्रूरतापूर्वक लदे 03 राशि गोवंश बरामद–

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.11.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर जोगापुर अस्पताल के पास से मैजिक (यूपी54 टी9290) वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे 03 राशि गोवंश को बरामद कर वाहन चालक सतेन्द्र यादव पुत्र रामबदन निवासी बेलौआ थाना हलधरपुर मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 342/22 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी के 02 मोबाईलफोन के साथ एक शातिर गिरफ्तार–

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.11.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर काजीटोला मैदान के पास से अमीर हमजा पुत्र जफीर अहमद निवासी भटकुआं पट्टी थाना दक्षिणटोला मऊ के कब्जे से चोरी के 02 मोबाइलफोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 496/22 धारा 411,414 भादवि में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 30 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 03.11.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा हाफिज अली निवासी भटकुआं पट्टी थाना दक्षिणटोला व शेर अली निवासी सलाहाबाद मोड़ थाना कोतवाली, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा सुरेन्द्र व विरेन्द्र राम निवासीगण बीरपुर थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा अभय सिंह निवासी छत्तरपुर, संजय यादव, सुचरामाझा, रामपरीखा निवासीगण जमालपुर बुलंद थाना हलधरपुर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जितेन्द्र यादव निवासी मटेहूं थाना मरदह गाजीपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा गया प्रसाद, विरेन्द्र कुमार निवासीगण फैजुल्लाहपुर, विजय राजभर, मोनू व जनार्दन निवासीगण साहूपुर थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा कृष्ण हरि निवासी कोल्हुआ खाश, दिनेश व रामबदन निवासीगण सिकड़ीकोल थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा इस्माइल, मेराज निवासीगण भोतकोल थाना मुहम्मदाबाद, अनस निवासी परसपुरा थाना कोपागंज, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा शुभम निवासी अमारी थाना सरायलखंसी, शैलेश निवासी पुराघाट थाना कोपागंज, विकास, संदीप, संजय व शुभम निवासीगण चकिया थाना रानीपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा बोधनाथ, जयप्रकाश निवासीगण लोहाटीकर व रामेश्वर, रजनीश निवासीगण ताहिरपुर थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।